



चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर  
फोन न. 0141-2229981, E mail ID : nojsy.raj@gmail.com

क्रमांक : एनएचएम/आरसीएच/ मु.शुभलक्ष्मी योजना /2017-18/ 615

दिनांक : 15-03-2018

संयुक्त निदेशक, समस्त संभाग।  
समस्त अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज संलग्न चिकित्सालय,  
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।

विषय:- मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना तृतीय परिलाभ के संबंध में दिशा निर्देश।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय के पत्रांक शुभलक्ष्मी/12-13/19, दिनांक-29.03.2013,  
एनआरएचएम/आसीएच-11/आरजेएसएसवाई/2013/18, दिनांक-24.05.2013 एवं  
एफ7/एनआरएचएम/ एमएच/2014/274, दिनांक-28.03.2014 के कम में

राज्य में शुभलक्ष्मी योजना का शुभारम्भ 1 अप्रैल 2013 से हुआ था, अतः वे पात्र लाभार्थी जिन्होंने इस योजना में 01 अप्रैल, 2013 से 31 मई, 2016 रात्रि 12:00 बजे तक जन्मी बालिकाओं पर शुभलक्ष्मी प्रथम एवं द्वितीय परिलाभ प्राप्त किया है, इनमें से पात्र लाभार्थियों को इस योजना का तीसरा परिलाभ एक अप्रैल, 2018 से दिया जाना है। इस योजना के संबंध में जिलों को पूर्व में जारी इस कार्यालय के पत्रांक शुभलक्ष्मी/12-13/19, दिनांक 29.03.2013, एनआरएचएम/आसीएच-11/आरजेएसएसवाई /2013/18, दिनांक- 24.05.2013 एवं एफ7/एनआरएचएम/एमएच/2014/274, 28.03.2014 द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये थे। इसी कम में तीसरे परिलाभ हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश पुनः जारी किये जाते हैं:-

- एक अप्रैल, 2018 से मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना का तृतीय परिलाभ राशि 3100/- (अक्षरे तीन हजार एक सौ रुपये मात्र) दिया जाना है।
- लाभ उन लाभार्थियों को ही दिया जाएगा जिन्होंने मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना का प्रथम एवं द्वितीय परिलाभ प्राप्त किया है।
- जिन बालिकाओं ने 1 अप्रैल, 2018 को 5 वर्ष पूर्ण कर लिये हैं, साथ ही स्कूल में प्रवेश ले लिया है, वे ही तृतीय परिलाभ के पात्र होंगे।
- राशि का भुगतान क्रॉस चैक के माध्यम से ही लाभार्थी को प्राप्ति रसीद जते हुए दिया जायेगा।
- तृतीय परिलाभ की पात्र बालिकाओं की माताओं को इस हेतु अपने निवास के पास स्थित राजकीय चिकित्सा संस्थान पर निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा:-
  1. शिक्षा संस्थान प्रभारी (राजकीय/निजी शिक्षा संस्थान) द्वारा बालिका के स्कूल में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र।
  2. मुख्यमंत्री प्रथम एवं द्वितीय परिलाभ लिए जाने का प्रमाण पत्र। (बैंक पास बुक की फोटो प्रति)।
  3. जन्म तिथि प्रमाण पत्र।

राज्य के समस्त चिकित्सा संस्थान प्रभारियों एवं जिला आशा समन्वयकों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे प्रत्येक आशा के क्षेत्रानुसार गांव में वर्ष 1 अप्रैल 2013 से पात्र लाभार्थियों को, जिन्होंने मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना का प्रथम एवं द्वितीय परिलाभ प्राप्त किया है, माह अनुसार आशा के माध्यम से सूचीबद्ध करवायेगें एवं नजदीकी चिकित्सा संस्थान पर आवेदन करवाकर उक्त

तृतीय किश्त का परिलाभ दिया जाना सुनिश्चित करेंगे इसमें किसी भी स्तर पर की गई कोताही पर कठोर कार्यवाही की जावेगी। प्रगति एवं व्यय विवरण सूचना प्रतिमाह जिला स्तर संकलित करते हुए राज्य स्तर पर भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न:- मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना तृतीय परिलाभ हेतु आवेदन फॉर्म नमूना।

शासन सचिव,

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. एवं  
मिशन निदेशक, एनएचएम

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वा. एवं प.क. सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
3. निजी सचिव, सयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 एवं अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम।
4. परियोजना निदेशक, एनएचएम।
5. निदेशक वित्त, एनएचएम।
6. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम।
7. वित्तीय सलाहकार परिवार कल्याण, परियोजना निदेशक, एम.एच./टीकाकरण/परिवार कल्याण/शिशु स्वास्थ्य/सलाहकार जेएसवाई।
8. राज्य वित्त प्रबंधक, एनएचएम/राज्य सलाहकार योजना-एनएचएम/राज्य सलाहकार योजना, एनयूएचएम।
9. प्रजनन शिशु एवं स्वास्थ्य अधिकारी/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एनयूएचएम/जिला लेखा प्रबंधक-एनएचएम/जिला आशा कार्डिनेटर/जिला कार्यक्रम प्रबंधक-एनयूएचएम समस्त जिले।
10. समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, समस्त जिले।
11. कैशियर, राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी, राज. मुख्यालय, जयपुर।
12. सर्वर प्रभारी रूम।
13. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, आशा

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क.  
राजस्थान, जयपुर

**मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना की तृतीय किशत के लिये आवेदन पत्र एवं प्रमाण पत्र**

मैं (लाभार्थी का नाम)..... पत्नी.....(पति का नाम)..... निवासी (वर्तमान पता) ..... स्थायी पता.....  
 .....ने वर्ष 2013-14 में दिनांक ..... को .....राजकीय/निजी अधिकृत चिकित्सा संस्थान में एक जीवित बालिका को जन्म दिया था। मेरी बालिका को नियमानुसार प्रथम एवं द्वितीय परिलाभ का भुगतान प्राप्त हो गया है। मेरी बालिका दिनांक .....माह..... वर्ष .....को पांच साल की हो चुकी है एवं ..... विद्यालय में अध्ययनरत है। उसे नियमानुसार मुख्यमंत्री तृतीय परिलाभ दिये जाने का श्रम करावें।

प्रार्थिया के हस्ताक्षर / अगुंटे का निशान

नाम (प्रार्थिया).....

पता.....

**प्रमाणित:-**

मैं ..... पद.....(पदस्थापन स्थान) प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सभी तथ्य मेरी जानकारी एवं रिकॉर्ड के अनुसार सही है।

हस्ताक्षर - एएनएम/ पार्षद/ सरपंच/  
 प्रभारी राजकीय चिकित्सा संस्थान

**संलग्न दस्तावेज:-**

1. स्कूल का अध्ययन प्रमाण पत्र जिसमें उम्र सत्यापित हो।
2. द्वितीय परिलाभ प्राप्त किये जाने का साक्ष्य (बैंक पासबुक की छाया प्रति/भुगतानकर्ता/प्रार्थी द्वारा सत्यापित)

मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना की तृतीय किश्त के लिये आवेदन हेतु  
विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी (बालिका का नाम)....., पुत्री

श्रीमति (माता का नाम ).....पुत्री श्री (पिता का नाम).....

..... निवासी (वर्तमान पता).....

स्थायी पता.....

बालिका दिनांक ..... को..... माह..... वर्ष ..... की हो चुकी है एवं .....

..... विद्यालय में दिनांक ..... से अध्ययनरत है।

विद्यालय(संस्था) प्रभारी अधिकारी  
(हस्ताक्षर ,नाम एवं पदनाम)